

राजस्थान सरकार  
सामान्य प्रशासन (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक :- प. 17(1)साप्र/2/14

जयपुर, दिनांक : 26.05.2014

:- आदेश :-

निम्नांकित कर्मचारियों को उनकी चतुर्थ श्रेणी की वरियता/पात्रतानुसार उनके नाम के सम्मुख अंकित राजकीय आवास उनके निवास हेतु नियमानुसार किराये पर राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के प्रावधानानुसार निम्नानुसार शर्तों पर एतद्वारा आवंटन/परिवर्तन किये जाते हैं -

क्र. सं.	वरियता संख्या	नाम व पद	आवास संख्या	सेवानिवृत्ति तिथि
1	25/2005	श्री ओमप्रकाश कुमावत अतिरिक्त निजी सचिव, कार्मिक (क-3/शिक्षा.) विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर	4/28, गांधीनगर	31.7.2025
2	146/06	श्रीमती मधु जैन अध्यापिका प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर	4/54, गांधीनगर (4/55, गांधीनगर से परिवर्तन)	30.4.2031
3	95/09	श्री रामकुमार बोरान तहसील राजस्व लेखाकार तहसीलदार तहसील-जयपुर	4/36, गांधीनगर (4/114; गांधीनगर से परिवर्तन)	30.6.2031
4	136/09	श्री राजाराम मीणा कनिष्ठ अनुदेशक प्रभारी अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगानेर, जयपुर	4/68 (4/139 गांधीनगर से परिवर्तन)	30.6.2031
5	59/2010	श्री रामकिशन जटिया कनिष्ठ लिपिक प्रभारी अधिकारी (संस्थापन शाखा), एडीजे फास्ट ट्रेक-4, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर	4/118, गांधीनगर	31.10.2025
6	73/2010	श्री नानग राम मीणा वाहन चालक आयुक्त, कॉलेज शिक्षा, जयपुर	4/94, गांधीनगर	31.8.2018
7	74/2010	श्री गजेन्द्र कुमार शर्मा सहायक सहायक अभियंता, जन स्वा. अभि0 विभाग, नगर उप खण्ड X उत्तर, अजमेरी गेट, जयपुर	4/123, गांधीनगर	31.7.2024
8	76/2010	श्री संतोष कुमार गुप्ता कनिष्ठ लिपिक शासन उप सचिव (प्रशासन) ग्रामीण विकास विभाग शासन सचिवालय, जयपुर	4/82, गांधीनगर	31.12.2028
9	77/2010	श्री संजय टिकर सहायक अनुभागाधिकारी, मुख्यमंत्री कार्यालय जयपुर।	4/102, गांधीनगर	31.3.2034
10	78/2010	श्री रविन्द्र कुमार माथुर कनिष्ठ लिपिक निदेशक, निदेशालय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जयपुर	4/83, गांधीनगर	30.9.2025
11	79/2010	श्री प्रमोद कुमार गुप्ता कनिष्ठ वैज्ञानिक सहायक निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर	4/100, गांधीनगर	30.11.2039
12	80/2010	श्री महिपाल सिंह वाहन चालक नियंत्रक, राजस्थान स्टेट मोटर गैरेज, जयपुर	4/110, गांधीनगर	30.6.2037

13	81/2010	श्री असरार अहमद वरिष्ठ लिपिक उपनिदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर	4/140, गांधीनगर	28.2.2031
14	82/2010	श्री हनुमान सिंह नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/32, गांधीनगर	30.11.2041
15	83/2010	श्री विपिन सिंह यादव नर्स ग्रेड-II अधीक्षक, सवाई मान सिंह चिकित्सालय, जयपुर	4/26, गांधीनगर	30.4.2046
16	179/2010	श्री मदन लाल मेघवाल वरिष्ठ लिपिक मंत्री मण्डल सचिवालय, शासन सचिवालय, जयपुर	4/115, गांधीनगर	31.7.2033

शर्त :-

1. आवास का कब्जा आवंटन की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। इस अवधि में कब्जा न लेने पर आवंटन आदेश स्वतः निरस्त समझा जावेगा।
2. उक्त आवास का किराया राजस्थान सिविल सेवा निवास स्थान के किराये का अवधारण और वसूली नियम, 1958 के अन्तर्गत राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेशों के अनुसार वसूल होगा।
3. सेवानिवृत्ति पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
4. जयपुर से बाहर स्थानान्तरण हो जाने पर इस विभाग को सूचित करना होगा तथा कार्यमुक्त होने की तिथि से एक माह पश्चात आवास रिक्त करना होगा।
5. स्वयं तथा पत्नी/बच्चों के नाम से पदस्थापन स्थान पर निजी आवास बन जाने/कय करने की स्थिति में इस विभाग को सूचित करना होगा।
6. चूंकि उक्त अधिकारियों/कर्मचारियों को राजकीय आवास का आवंटन किया जा चुका है। अतः राजकीय आवास आवंटन नियम, 1958 के नियम 11(III)ए के अनुसरण में आदेश प्रसारित होने के आवास रिक्त की तिथि से 8 दिवस में अथवा आवंटन स्वीकार करने के असफल रहने की तारीख से 6 माह की कालावधि तक अगले आवंटन तक के लिए पात्र नहीं रहेगा। 6 माह की समाप्ति पश्चात उसे प्रतीक्षा सूची में अपनी मूल स्थिति में पुनः लाया जा सकेगा। उसका मकान किराया भत्ता यदि उस क्षेत्र में अनुज्ञेय हो तो रोक दिया जायेगा।
7. सम्बन्धित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी कृपया आवंटी के द्वारा आवास का कब्जा रिक्त होने की तिथि से 8 दिवस में लिया जायेगा। अन्यथा निर्धारित अवधि उपरान्त आवंटी अधिकारी का मकान किराया भत्ता बन्द करने के आदेश प्रसारित कर प्रति इस विभाग को भिजवाने का श्रम करावे।
8. आवंटी को आवंटित राजकीय आवास का कब्जा देने से पूर्व संबंधित अधिशाषी अभियन्ता को यह घोषणा करनी होगी:-
  1. आवेदन प्रस्तुत करने के पश्चात आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी निरन्तर जयपुर में ही पदस्थापित रहे है।
  2. आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से आवंटित राजकीय आवास के कब्जा लेने तक की अवधि में आवंटी के द्वारा कोई स्वयं/पति/पत्नि व उन पर आश्रित किसी अन्य सदस्य के नाम से जयपुर में निजी आवास निर्मित/कय नहीं किया है।
9. उपरोक्त के अतिरिक्त राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर जारी अन्य शर्तें भी मान्य होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,


(राजीव जैन)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. सभागीय आयुक्त, जयपुर।
2. जिला कलेक्टर, जयपुर।
3. निदेशक, सम्पदा विभाग, मंत्री सचिवालय, जयपुर।
4. शासन उप सचिव, कार्मिक (ख-1) विभाग, जयपुर।
5. शासन उप सचिव (प्रशासन), ग्रामीण विकास विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
6. निदेशक, निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, जयपुर।
7. निदेशक, पुलिस विधि विज्ञान प्रयोगशाला, जयपुर।

8. उपनिदेशक, भाषा एवं पुस्तकालय विभाग, जयपुर।
9. प्रधानाध्यापक, राजकीय प्राथमिक विद्यालय, हीरापुरा, अजमेर रोड, जयपुर
10. तहसीलदार, तहसील-जयपुर।
11. आयुक्त, आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा, जयपुर।
12. अधीक्षक, सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर।
13. प्रभारी अधिकारी, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, सांगानेर, जयपुर (राज.)।
14. प्रभारी अधिकारी (संस्थापन शाखा), एडीजे फास्ट ट्रेक-4, जिला एवं सेशन न्यायालय, जयपुर।
15. सहायक अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, नगर उपखण्ड-10 (उत्तर), अजमेरी गेट, जयपुर।
16. वित्तीय सलाहकार/कोषाधिकारी, शासन सचिवालय, जयपुर।
17. कोषाधिकारी, जयपुर शहर, जयपुर।
18. संबंधित विभागाध्यक्ष/आहरण वितरण अधिकारी को भेजकर लेख है कि आवंटी से आवंटित आवास का नियमानुसार किराया कटौती की कार्यवाही को सुनिश्चित कराये साथ ही आवंटी द्वारा निर्धारित अवधि में कब्जा लेने में असफल रहने की स्थिति में आवंटन आदेश की शर्त 6 की प्रालना को भी अमल में लावे।
19. प्रोग्रामर सहायक, सामान्य प्रशासन (ग्रुप-3) विभाग, शासन सचिवालय- कृपया उक्त आदेश को सामान्य प्रशासन विभाग की वेब साईट पर अपडेट करने का श्रम करावे।
20. अधिशाषी अभियन्ता, सा0नि0वि0/जन स्वा0 अभि0 वि0/जयपुर वि0वि0निगम लि0, गॉधीनगर, जयपुर।
21. सहायक अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग चौकी गॉधीनगर, जयपुर-कृपया उक्त आदेश को कार्यालय ब्लेकबोर्ड पर चस्पा करावे।
21. सम्बन्धित कर्मचारीगण। क्रम संख्या 2, 3 व 4 अंकित आवंटियों को भेजकर लेख है कि कृपया नवीन आवंटित आवास का कब्जा लेकर पूर्व आवंटित आवास रिक्त कर इस विभाग को सूचित करावे।
22. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, साप्रवि।
23. रक्षित पत्रावली।

  
 (मुन्नालाल शर्मा) 26/5/14  
 सहायक शासन सचिव